



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक : 27.03.2015 का कार्यवृत्त

समय : पूर्वान्ह 11.30 बजे

स्थान : कमेटी हाल

उपस्थिति :

1.	प्रो० अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो० पी०सी० शुक्ला	सदस्य
3.	प्रो० जितेन्द्र तिवारी	सदस्य
4.	प्रो० ए०के० सिंह	सदस्य
5.	प्रो०डी०एन०यादव	सदस्य
6.	डॉ० रुसी राम महानन्दा	सदस्य
7.	डॉ० अनुराग द्विवेदी	सदस्य
8.	प्रो० यू०पी० सिंह	सदस्य
9.	डॉ० के०के० यादव	सदस्य
10.	डॉ० हरेश प्रताप सिंह	सदस्य
11.	डॉ० वेद प्रकाश मिश्र	सदस्य
12.	डॉ० सतीश कुमार	सदस्य
13.	कुलसचिव	सचिव

बैठक में वित्त अधिकारी श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव एवं कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् बैठक में निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार किया गया -

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1.	<p>कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 26.07.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि निम्नलिखित संशोधन के साथ की-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 की बिन्दु संख्या- 37 पर महामहिम कुलाधिपति जी के सचिव द्वारा प्रेषित पत्र संख्या ई-4108/7 जी0एस0/2013 दिनांक 16.05.2014 के आलोक में नर्सिंग, फार्मसी तथा हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के विभाग औषधि संकाय में शामिल किये गये" संशोधन को माननीय सदस्यों ने वापस ले लिया और कहा कि इस बिन्दु पर संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 2. कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 की बिन्दु संख्या- 45 पर अनुशासनिक सनिति की आख्या की बिन्दु संख्या 1-6 को यथावत स्वीकार किया। बिन्दु-7 का सम्बन्ध विश्वविद्यालय से नहीं है। अतः इस पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रो0 वर्मा का वेतन एवं सेवाओं का सातत्य सुरक्षित रखा जाय तथा बकाये वेतन का भुगतान किया जाय, पढा जाय। 3. कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 की बिन्दु संख्या- 46 पर अपनी बैठक दिनांक : 03.02.2013 की बिन्दु संख्या 10, 11 एवं 12 द्वारा प्रो0 राजेन्द्र सिंह-प्राणिविज्ञान विभाग, प्रो0 विनय कुमार पाण्डेय-वाणिज्य विभाग एवं प्रो0 अजय कुमार श्रीवास्तव- प्राणिविज्ञान विभाग के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार महामहिम कुलाधिपति महोदय के विशेष कार्याधिकारी (विधि) के पत्र सं0 393/जी0एस0/7-जी0एस0 (68) 2012 दिनांक 14.01.2013 में दिये गये निर्देशानुसार गठित

अनुशासनिक समिति की आख्या को स्वीकार करते हुए तीनों आचार्यों प्रो० राजेन्द्र सिंह (प्राणिविज्ञान विभाग), प्रो० विनय कुमार पाण्डेय (वाणिज्य विभाग), प्रो० अजय कुमार श्रीवास्तव (प्राणिविज्ञान विभाग) के वेतन, वरिष्ठता एवं सेवाओं का सातत्य सुरक्षित रखा जाय तथा बकाये वेतन का भुगतान किया जाय, पढ़ा जाय।

4. कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 की बिन्दु संख्या- 49 पर डॉ० पटेल के प्रकरण पर लिये निर्णयानुसार "चेतावनी देते हुए पद को विलुप्त करके "अनुशासन समिति द्वारा की गयी अनुशंसा को प्रकरण के Trivial Nature का होने के कारण उसे समाप्त करने निर्णय लिया गया।" पढ़ा जाय।

5. कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 की बिन्दु संख्या- 63 पर डॉ० (श्रीमती) सरिता पाण्डेय के प्रतिवेदन पर विचार करते समय यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि डॉ० (श्रीमती) सरिता पाण्डेय की स्ववित्तपोषित महाविद्यालय चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय में की गयी सेवायें उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा किसी भी लाभ के लिए अमान्य कर दी गयी है। इसका उल्लेख वरिष्ठता समिति की रिपोर्ट में भी है। इसलिए कार्य परिषद् वरिष्ठता समिति के निर्णय से सहमत होते हुए यह निर्णय लेती है कि डॉ० शोभा गौड़, डॉ० सरिता पाण्डेय से वरिष्ठ हैं।

6. कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 की बिन्दु संख्या- 82 पर कार्य परिषद् ने शासनादेश संख्या : 206/सत्तर-1-2011-14(12)/07 दिनांक 23 मई, 2011 पर लिये गये निर्णय को यथावत रहने देने का निर्णय लिया।

2. कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना।

कार्य परिषद् पक अपनी बैठक दिनांक 26.07.2014 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही बिन्दु संख्या 47 के सम्बन्ध में जो डॉ० जे० ए० वी० प्रसादा राव, उपाचार्य, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, दी०द०उ०गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय क्रम में डॉ० राव को सदन में बुलाकर उनकी व्यक्तिगत सुनवाई की गयी। परिषद् ने इस सन्दर्भ को पुनर्विचार करने का निर्णय लिया।

3.	<p>कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.08.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।</p> <p>कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 30.08.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।</p>
4.	<p>कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.08.2014 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.08.2014 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।</p>
5.	<p>कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 08.01.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।</p> <p>कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 08.01.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।</p>
6.	<p>कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 08.01.2015 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 08.01.2014 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।</p>
7.	<p>कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.01.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।</p> <p>कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 30.01.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।</p>
8.	<p>कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.01.2015 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना (प्रतिलिपि संलग्न)।</p>

	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.01.2015 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।
9.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 14.02.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार। कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 14.02.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।
10.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 14.02.2015 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना (प्रतिलिपि संलग्न)। कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 14.02.2015 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।
11.	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 836/सत्तर-1-2014-15(15)/2007 दिनांक 20 अगस्त, 2014 जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विधायी अनुभाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या : 975/79-वि-1-14-1(क)/19/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 से सम्बन्धित है, से अवगत होना। कार्य परिषद् विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 836/सत्तर-1-2014-15(15)/2007 दिनांक 20 अगस्त, 2014 जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विधायी अनुभाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या : 975/79-वि-1-14-1(क)/19/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 से सम्बन्धित है, से अवगत हुई। प्रक्रियात्मक कार्यवाही के क्रम में परिषद् ने सर्वसम्मति से सम्बद्धता निर्गत करने हेतु आदेश प्रदान करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया, जिसका

	<p>कार्योत्तर अनुमोदन इस परिषद् द्वारा किया जायेगा।</p> <p>साथ ही कार्य परिषद् ने सम्बद्धता के प्रस्तावों पर निरीक्षण मण्डल गठित करने एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु विषय विशेषज्ञ देने हेतु भी कुलपति को अधिकृत किया।</p>
12.	<p>विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 14.10.2014 की संस्तुतियों पर विचार।</p> <p>कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 14.10.2014 की संस्तुतियों से अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की।</p>
13.	<p>कार्यालय आदेश सं० : सा०प्र०/छात्रा०/2014/4531 दिनांक 10.10.2014 जो विभिन्न छात्रावासों में अभिरक्षक/अधीक्षक पद पर नियुक्ति सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।</p> <p>कार्य परिषद् कार्यालय आदेश सं० : सा०प्र०/छात्रा०/2014/4531 दिनांक 10.10.2014 जो विभिन्न छात्रावासों में अभिरक्षक/अधीक्षक पद पर नियुक्ति सम्बन्धी है, से अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की।</p>
14.	<p>कार्यालय ज्ञाप सं० : सा०प्र०/2014/4553 दिनांक : 18.11.2014 द्वारा प्रो० पी०सी० शुक्ल, आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग को अधिष्ठाता- वाणिज्य संकाय के पद पर नियुक्त होने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन करने पर विचार।</p> <p>कार्य परिषद् कार्यालय ज्ञाप सं० : सा०प्र०/2014/4553 दिनांक : 18.11.2014 द्वारा प्रो० पी०सी० शुक्ल, आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग को अधिष्ठाता- वाणिज्य संकाय के पद पर नियुक्त होने सम्बन्धी आदेश से अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की।</p>
15.	<p>कार्यालय आदेश सं० : साप्र/2014/4574 दिनांक 22.11.2014 द्वारा डॉ० मो० रजिउररहमान, सहयुक्त आचार्य, उर्दू विभाग को अध्यक्ष- उर्दू विभाग के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन</p>

करने पर विचार।

कार्य परिषद् कार्यालय आदेश सं० : साप्र/2014/4574 दिनांक 22.11.2014 द्वारा डॉ० मो० रजिउर्रहमान, सहयुक्त आचार्य, उर्दू विभाग को अध्यक्ष— उर्दू विभाग के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की।

16. कुलपति जी के आदेश दिनांक 04.09.2014 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं० : 4881/सा०प्र०/2014 दिनांक 06.09.2014 जो डॉ० गोपाल प्रसाद, सहयुक्त आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग के द्वारा डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश से सहयुक्त आचार्य के पद से कार्यमुक्त होकर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में अपने मौलिक पद पर दिनांक 14.08.2014 के पूर्वान्ह से कार्यभार ग्रहण किये जाने एवं उनके द्वारा पूर्व में लिये गये एक वर्ष के अवैतनिक असाधारण अवकाश दिनांक 01.06.2013 से 30.05.2014 के क्रम में दिनांक 01.06.2014 से 13.08.2014 तक दो माह तेरह दिन का अवैतनिक असाधारण अवकाश, संशोधित अवकाश परिनियम 15.19 में प्रावधानित उपबन्धों/नियमों के अधीन स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार।

कार्य परिषद् कुलपति जी के आदेश दिनांक 04.09.2014 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं० : 4881/सा०प्र०/2014 दिनांक 06.09.2014 जो डॉ० गोपाल प्रसाद, सहयुक्त आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग के द्वारा डॉ० हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश से सहयुक्त आचार्य के पद से कार्यमुक्त होकर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में अपने मौलिक पद पर दिनांक 14.08.2014 के पूर्वान्ह से कार्यभार ग्रहण किये जाने एवं उनके द्वारा पूर्व में लिये गये एक वर्ष के अवैतनिक असाधारण अवकाश दिनांक 01.06.2013 से 30.05.2014 के क्रम में दिनांक 01.06.2014 से 13.08.2014 तक दो माह तेरह दिन का

अवैतनिक असाधारण अवकाश, संशोधित अवकाश परिनियम 15.19 में प्रावधानित उपबन्धों/नियमों के अधीन स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की।

17. एन0सी0टी0ई0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विधि सलाहकार से प्राप्त राय के आलोक में चौधरी महावीर प्रसाद मेमोरियल डिग्री कालेज, हथियहवाँ, बर्डपुर, सिद्धार्थनगर, प्रभादेवी महाविद्यालय, खलीलाबाद, संत कबीर नगर, विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर, वरडीहा, कुशीनगर एवं किसान महाविद्यालय, पैकौली हाटा, कुशीनगर की बी0एड0 पाठ्यक्रम की सत्र 2015-16 से मान्यता समाप्त करने पर विचार।

कार्य परिषद् ने एन0सी0टी0ई0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विधि सलाहकार से प्राप्त राय के आलोक में (1) चौधरी महावीर प्रसाद मेमोरियल डिग्री कालेज, हथियहवाँ, बर्डपुर, सिद्धार्थनगर, (2) प्रभादेवी महाविद्यालय, खलीलाबाद, संत कबीर नगर, (3) विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर, वरडीहा, कुशीनगर एवं (4) किसान महाविद्यालय, पैकौली हाटा, कुशीनगर की बी0एड0 पाठ्यक्रम की सत्र 2015-16 से मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया तथा पाँचवें महाविद्यालय वीर बहादुर सिंह डिग्री कालेज, हरनहीं महुँराँव, गोरखपुर के सन्दर्भ में एन0सी0टी0ई0 से कोई आदेश/निर्देश प्राप्त नहीं होने पर अनुस्मारक प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

18. प्राचार्य, गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त अवेद्यनाथ महाविद्यालय, चौका बाजार, महाराजगंज के पत्र सं0 : गो0म0अ0म0 / 198 / 2015 दिनांक : 10.11.2014 जो परीक्षा- 2015 के शुल्क से क्रीड़ा शुल्क हटाने के सन्दर्भ में है, पर विचार।

कार्य परिषद् प्राचार्य, गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त अवेद्यनाथ महाविद्यालय, चौका बाजार, महाराजगंज के पत्र सं0 :

	<p>गो०म०अ०म०/198/2015 दिनांक : 10.11.2014 जो परीक्षा- 2015 के शुल्क से क्रीड़ा शुल्क हटाने के सन्दर्भ में है, पर विचार करते हुए (बिन्दु संख्या-19 को सम्मिलित करते हुए) निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अन्य महाविद्यालयों के प्राचार्य से बैठक कर विमर्श कर लें। इसके उपरान्त कार्य परिषद् को पूरी वस्तुस्थिति से अवगत करायें तदानुसार निर्णय लिया जायेगा।</p>
19.	<p>डॉ० हर्ष कुमार सिन्हा, अध्यक्ष, क्रीड़ा परिषद्, दी०द०उ०गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के दिनांक रहित पत्र जो कुछ स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों द्वारा क्रीड़ा परिषद् की सदस्यता से मुक्त होने सम्बन्धी है, पर विचार।</p> <p>कार्य परिषद् इस प्रकरण को बिन्दु संख्या-18 के साथ जोड़ कर का निर्णय लेने का निर्णय लिया।</p>
20.	<p>कार्यालय ज्ञाप सं० : सा०प्र०/2014/4530 दिनांक 15.11.2014 जो प्रो० सी०पी०एम० त्रिपाठी, आचार्य, प्राणिविज्ञान विभाग द्वारा अध्यक्ष- जैव प्रौद्योगिकी विभाग से त्याग पत्र देने के उपरान्त प्रो० राजेन्द्र सिंह, अध्यक्ष- प्राणिविज्ञान विभाग को अध्यक्ष- जैव प्रौद्योगिकी विभाग के दायित्व को संभालने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।</p> <p>कार्य परिषद् ने कार्यालय ज्ञाप सं० : सा०प्र०/2014/4530 दिनांक 15.11.2014 जो प्रो० सी०पी०एम० त्रिपाठी, आचार्य, प्राणिविज्ञान विभाग द्वारा अध्यक्ष- जैव प्रौद्योगिकी विभाग से त्याग पत्र देने के उपरान्त प्रो० राजेन्द्र सिंह, अध्यक्ष- प्राणिविज्ञान विभाग को अध्यक्ष- जैव प्रौद्योगिकी विभाग के दायित्व को संभालने सम्बन्धी आदेश से अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की।</p>
21.	<p>कार्यालय ज्ञाप सं० : 4014/सा०प्र०/2014 दिनांक : 31.7.2014 जो</p>

प्रो० चित्तरंजन मिश्र, आचार्य—हिन्दी विभाग की नियुक्ति महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा में प्रति—कुलपति पद पर होने के फलस्वरूप कुलपति जी के आदेश दिनांक 31.07.2014 द्वारा प्रो० मिश्र को विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) 15.18 एवं उसके विभिन्न उपबन्धों के अधीन दिनांक 04.08.2014 से दो वर्ष का असाधारण अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

कार्य परिषद् कार्यालय ज्ञाप सं० : 4014/सा०प्र०/2014 दिनांक : 31.7.2014 जो प्रो० चित्तरंजन मिश्र, आचार्य—हिन्दी विभाग की नियुक्ति महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा में प्रति—कुलपति पद पर होने के फलस्वरूप कुलपति जी के आदेश दिनांक 31.07.2014 द्वारा प्रो० मिश्र को विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) 15.18 एवं उसके विभिन्न उपबन्धों के अधीन दिनांक 04.08.2014 से दो वर्ष का असाधारण अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी है, से अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की। साथ ही कुलसचिव, महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के पत्र सं० : स्था/4054/2014/म.ग.अ.हि.वि. दिनांक 08.12.2014 के पत्र के अनुरोध में उक्त अवधि को प्रतिनियुक्ति में परिवर्तित करने पर यह निर्णय किया गया कि इस पर प्रशासनिक परीक्षण करने के उपरान्त अलग से विचार किया जायेगा।

22. प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ, गोरखपुर के पत्र सं० सं० : 840-43/दु०सं०गो०/विपणन/बूथ/2014-15 दिनांक 05.09.2014 जो विश्वविद्यालय परिसर में पराग मिल्क बूथ हेतु 8 ग 8 फिट = 64 वर्ग फिट स्थान/जमीन के आवंटन सम्बन्धी है, पर विचार।

कार्य परिषद् प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ, गोरखपुर के पत्र सं० : 840-43/दु०सं०गो०/विपणन/बूथ/2014-15 दिनांक 05.09.2014 जो विश्वविद्यालय परिसर में पराग मिल्क बूथ हेतु 8 ग 8 फिट — 64 वर्ग फिट स्थान/जमीन के आवंटन के सम्बन्ध में निर्णय लिया

	कि इन्हें नये कैफेटेरिया में स्थान दे दिया जाय।
23.	<p>परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20.09.2014 के बिन्दु संख्या- 8 द्वारा लिये गये निर्णय जो श्री धर्मेन्द्र कुमार, शोध छात्र के एम0एड0 वर्ष 2009 की उपाधि निरस्त करने सम्बन्धी है, पर विचार।</p> <p>कार्य परिषद् ने परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20.09.2014 के बिन्दु संख्या- 8 द्वारा लिये गये निर्णय जो श्री धर्मेन्द्र कुमार, शोध छात्र के एम0एड0 वर्ष 2009 की उपाधि निरस्त कर दिया।</p>
24.	<p>उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31(3)(सी) के अन्तर्गत विनियमित किये गये निम्नलिखित 11 शिक्षकों, जिनकी गोपनीय प्रविष्टि आख्या प्राप्त हो गयी है के स्थायीकरण पर विचार।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. डॉ0 ध्यानेन्द्र नारायण दूबे, प्राचीन इतिहास विभाग, 2. डॉ0 राम प्यारे मिश्र, प्राचीन इतिहास विभाग, 3. डॉ0 (श्रीमती) निशा जायसवाल, राजनीति विज्ञान विभाग 4. डॉ0 सुनील कुमार श्रीवास्तव, प्राणिविज्ञान विभाग, 5. डॉ0 श्रीकृष्ण तिवारी, प्राणिविज्ञान विभाग, 6. डॉ0 विनय कुमार सिंह, प्राणिविज्ञान विभाग, 7. डॉ0 केशव सिंह, प्राणिविज्ञान विभाग, 8. डॉ0 (श्रीमती) मधु सत्यदेव, संस्कृत विभाग, 9. डॉ0 सुधाकर लाल श्रीवास्तव, इतिहास विभाग, 10. डॉ. मनोज कुमार तिवारी, इतिहास विभाग एवं 11. डॉ0 प्रेमव्रत तिवारी, हिन्दी विभाग। <p>कार्य परिषद् उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31(3)(सी) के अन्तर्गत विनियमित किये गये उक्त 11 शिक्षकों, जिनकी गोपनीय प्रविष्टि आख्या प्राप्त हो गयी है को स्थायी करने का निर्णय लिया।</p>
25.	<p>डॉ0 राकेश तिवारी, सहायक आचार्य- भौतिकी विभाग के वेतन संरक्षण से सम्बन्धी प्राप्त शासनादेश के आधार पर निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 : साप्र/2014/4504 दिनांक 27.10.2014 से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् डॉ0 राकेश तिवारी, सहायक आचार्य- भौतिकी विभाग</p>

के वेतन संरक्षण से सम्बन्धी प्राप्त शासनादेश के आधार पर निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं० : साप्र/2014/4504 दिनांक 27.10.2014 एवं पत्र सं० : 4986/सा०प्र०/2015 दिनांक 16.01.2015 से अवगत हुई।

26. प्रभा देवी महिला महाविद्यालय, मानीराम, गोरखपुर की स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विषयों में प्रबन्ध तन्त्र के प्रस्ताव के क्रम में सम्बद्धता वापसी पर विचार।
कार्य परिषद् प्रभा देवी महिला महाविद्यालय, मानीराम, गोरखपुर की स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विषयों में प्रबन्ध तन्त्र के प्रस्ताव के क्रम में सम्बद्धता वापस करने तथा उक्त महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में जमा एफ०डी०आर० वापस करने का निर्णय लिया।

27. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 37(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई पूर्वानुमति के दृष्टिगत कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशोपरान्त सम्बद्धता प्रदान करने विषयक आदेशों की पुष्टि करना (सूची संलग्न)।
कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।

28. विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न विभूतियों/महानुभावों की मूर्ति लगाने सम्बन्धी एवं अन्य मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित पत्रों पर विचार—

क्रम सं०	पत्रों का विवरण	मूर्तियों का विवरण
1.	श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्र सं० ई- 6945/7-जी०एस० दिनांक : 27 अगस्त, 2014 के उत्तर में कुलपति जी द्वारा प्रेषित पत्र सं० 203/कुलपति/सा०स०/2014 दिनांक 29.08.2014	पं० दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाने सम्बन्धी

2.	श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्र सं० ई- 7814/जी०एस० दिनांक : 18 सितम्बर, 2014	विश्वविद्यालय परिसर में स्व० डॉ० सुरति नारायण मणि त्रिपाठी की प्रतिमा लगाने सम्बन्धी
3.	महन्त योगी आदित्यनाथ मंत्री/ प्रबन्धक एव संसद सदस्य (लोक सभा) तथा प्रो० यू०पी० सिंह, सदस्य कार्यपरिषद के पत्र दिनांक 05.12.2014	विश्वविद्यालय परिसर में ब्रह्मलीन पूज्य महन्त दिग्विजय नाथ जी महाराज की मूर्ति की स्थापना
4.	श्री रणजीत राय बड़े, महानगर अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, महानगर, गोरखपुर का पत्र	जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाने तथा दीनदयाल अध्ययन पीठ की स्थापना
5.	श्री जीतेन्द्र बहादुर सिंह, अखिल भारतीय बीर बहादुर सिंह जन सेवा संस्थान रजि० कार्यालय-3 माल एवेन्यु लखनऊ उ०प्र० के पत्र दिनांक 15.12.2014	विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री स्व० बीर बहादुर सिंह की मूर्ति
6.	श्री महेन्द्र सिंह राणा, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल गोरखपुर के पत्र दिनांक 16.12.2014	गोरखपुर की पहचान स्व० रघुपति सहाय फिराक की मूर्ति हिन्दी विभाग के परिसर में
7.	श्री के०डी० दूबे, सेक्रेटरी, हरिहर प्रसाद दूबे मेमोरियल सोसाइटी बेतियाहाता गोरखपुर के पत्र दिनांक 27.12.2014	श्री हरिहर प्रसाद दूबे की मूर्ति स्थापना
8.	श्री नीरज शाही, महामंत्री, छात्र संघ, दी०द०उ०गो०वि०वि० गोरखपुर के पत्र दिनांक 16.12.2014	जो नित्यलीलालीन भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, महन्त दिग्विजयनाथ एवं महन्त अवैद्य नाथ जी महाराज की मूर्ति
9.	श्री ऋषि कपूर गौतम, अध्यक्ष- डॉ० अम्बेडकर छात्र युवा चेतना समिति, गोरखपुर का पत्र दिनांक 11.03.2015	डॉ० बी०आर०अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा की स्थापना सहित पाँच सूत्रीय माँग

कार्य परिषद् सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न विभूतियों/महानुभावों की मूर्ति लगाने सम्बन्धी माँग एवं अन्य माँगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित की

	<p>एक समिति गठित की जाय। समिति की आख्या प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रो० यू०पी० सिंह— संयोजक 2. प्रो० सतीश कुमार—सदस्य 3. प्रो० ए०के०सिंह— सदस्य
29.	<p>कार्यालय ज्ञाप संख्या 4694/सा०प्र०/2014 दिनांक 22.12.2014 डॉ० ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी, परियोजना अधिकारी, प्रौढ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग को दिनांक 27.03.2014 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया जाता है से अवगत होना।</p> <p>कार्य परिषद् कार्यालय ज्ञाप संख्या 4694/सा०प्र०/2014 दिनांक 22.12.2014 डॉ० ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी, परियोजना अधिकारी, प्रौढ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग को दिनांक 27.03.2014 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया जाता है से अवगत हुई।</p>
30.	<p>कार्यालय आदेश संख्या सा०प्र० /2015 /4828 दिनांक 02.02.2015 कुलपति जी के आदेश दिनांक 31.01.2015 के अनुपालन में श्री सचिन मिश्र पुत्र स्व० डॉ० रामप्रीत मिश्र, की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नैतिक लिपिक पद पर अस्थायी नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार।</p> <p>कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या सा०प्र०/2015/4828 दिनांक 02.02.2015 कुलपति जी के आदेश दिनांक 31.01.2015 के अनुपालन में श्री सचिन मिश्र पुत्र स्व० डॉ० रामप्रीत मिश्र की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नैतिक लिपिक पद पर आदेश पर अनुमोदन प्रदान किया।</p>
31.	<p>कार्यालय आदेश संख्या सा०प्र०/2015/4831 दिनांक 04.02.2015 श्री रामदयाल पुत्र श्री रमाकान्त ग्राम—देवीपुर टोला, लक्ष्मनपुर पो०—बालापार थाना—चिलुआताल, जनपद गोरखपुर को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत अस्थायी नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार।</p>

	<p>कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या सा0प्र0/2015/4831 दिनांक 04.02.2015 श्री रामदयाल पुत्र श्री रमाकान्त ग्राम-देवीपुर टोला, लक्ष्मनपुर पो0-बालापार थाना-चिलुआताल, जनपद गोरखपुर को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत अस्थायी नियुक्ति पर अनुमोदन प्रदान किया।</p>
32.	<p>कार्यालय आदेश संख्या 3945/सा0प्र0/दिनांक 02.07.2014 श्री राम अशीष यादव पुत्र स्व0रामबचन निवासी ग्राम -कजाकपुर पो0-रामपुर, तहसील-सदर जिला-गोरखपुर को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत अस्थायी नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार।</p> <p>कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या 3945/सा0प्र0/दिनांक 02.07.2014 श्री राम अशीष यादव पुत्र स्व0रामबचन निवासी ग्राम -कजाकपुर पो0-रामपुर, तहसील-सदर जिला-गोरखपुर को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत अस्थायी नियुक्ति पर अनुमोदन प्रदान किया।</p>
33.	<p>कार्यालय आदेश संख्या साप्र0 /2015/4821 दिनांक 02.02.2015 श्री चन्दन पुत्र श्रीमती शारदा, स्वच्छक कालोनी को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत अस्थायी नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार।</p> <p>कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या साप्र0/2015/4821 दिनांक 02.02.2015 श्री चन्दन पुत्र श्रीमती शारदा, स्वच्छक कालोनी को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत अस्थायी नियुक्ति पर अनुमोदन प्रदान किया।</p>
34.	<p>कार्यालय आदेश संख्या दी0द0उ0गो0वि0वि0/कुसकास/2015/197 दिनांक 02.02.2015 कुलपति जी के आदेश दिनांक 11.12.2014 के अनुसार डॉ0 रविकान्त उपाध्याय, एसोसिएट प्रोफेसर, प्राणि विज्ञान विभाग को इन्टीग्रेटेड स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का नोडल आफिसर नामित किया</p>

गया है से अवगत होना।

कार्य परिषद् कार्यालय आदेश संख्या दी०द०उ०गो०वि०वि०/
कुसकास/2015/197 दिनांक 02.02.2015 कुलपति जी के आदेश
दिनांक 11.12.2014 के अनुसार डॉ० रविकान्त उपाध्याय, एसोसिएट
प्रोफेसर, प्राणि विज्ञान विभाग को इन्टीग्रेटेड स्पोकन ट्यूटोरियल
प्रोजेक्ट का नोडल आफिसर नामित करने सम्बन्धी आदेश से
अवगत हुई।

35. प्रो० आर०सी० श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष— गणित एवं सांख्यिकी विभाग,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 29.
09.2014 जो प्रो० बी०जी० वर्मा, पूर्व अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता— विज्ञान संकाय
के स्मृति में एम०ए०/एम०एस—सी० गणित विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त
करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक दिये जाने सम्बन्धी है, पर विचार।
कार्य परिषद् सम्यक् विचारोपरान्त प्रो० आर०सी० श्रीवास्तव,
विभागाध्यक्ष— गणित एवं सांख्यिकी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 29.09.2014 जो
प्रो० बी०जी० वर्मा, पूर्व अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता— विज्ञान संकाय के
स्मृति में एम०ए०/एम०एस—सी० गणित विषय में सर्वाधिक अंक
प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक दिये जाने सम्बन्धी है,
को स्वीकार किया तथा यह भी निर्णय लिया कि स्वर्ण प्रदान करने
हेतु जमा की जाने वाली धनराशि रू० 25,000—00 से बढ़ाकर
रू० 1,00,000—00 कर दी जाय।

36. प्रो० आर०सी० श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष— गणित एवं सांख्यिकी विभाग,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक
29.09.2014 जो एम०ए०/एम०एस—सी० गणित विषय में सर्वाधिक अंक
प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को "श्याम केशवरी स्मृति स्वर्ण पदक" दिये
जाने सम्बन्धी है, पर विचार।

कार्य परिषद् सम्यक् विचारोपरान्त प्रो० आर०सी० श्रीवास्त्व, विभागाध्यक्ष— गणित एवं सांख्यिकी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 29.09.2014 जो एम०ए०/एम०एस—सी० गणित विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को "श्याम केशवरी स्मृति स्वर्ण पदक" दिये जाने सम्बन्धी है, को स्वीकार किया तथा यह भी निर्णय लिया कि स्वर्ण प्रदान करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि रू० 25,000—00 से बढ़ाकर रू० 1,00,000—00 कर दी जाय।

37. श्री महन्त योगी आदित्यनाथ मंत्री/प्रबन्धक संसद सदस्य (लोकसभा) महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद एम०पी० विल्डिंग, गोलघर गोरखपुर के पत्र दिनांक 05.12.2014 जो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ, योगिराज बाबा गम्भीरनाथ जी, ब्रह्मलीन परमपूज्य महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं ब्रह्मलीन परम पूज्य महन्त अवैद्यनाथ जी महाराज के नामों पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा स्वर्ण पदक दिये जाने के संबंध में है पर विचार।

कार्य परिषद् सम्यक् विचारोपरान्त श्री महन्त योगी आदित्यनाथ मंत्री/प्रबन्धक संसद सदस्य (लोकसभा) महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद एम०पी० विल्डिंग, गोलघर गोरखपुर के पत्र दिनांक 05.12.2014 जो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ, योगिराज बाबा गम्भीरनाथ जी, ब्रह्मलीन परमपूज्य महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं ब्रह्मलीन परम पूज्य महन्त अवैद्यनाथ जी महाराज के नामों पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा स्वर्ण पदक दिये जाने के संबंध में है, को स्वीकार किया तथा यह भी निर्णय लिया कि स्वर्ण प्रदान करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि रू० 25,000—00 से बढ़ाकर रू० 1,00,000—00 प्रति स्वर्ण पदक कर दी जाय।

38.	<p>श्री के०डी० दूबे, सैक्रेटरी, हरिहर प्रसाद दूबे मेमोरियल सोसाइटी, बेतियाहाता गोरखपुर के पत्र दिनांक 27.12.2014 जो स्व० पिता श्री हरिहर प्रसाद दूबे की स्मृति में विश्वविद्यालय में बी०काम० परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्र/छात्रा को प्रत्येक वर्ष स्वर्ण पदक दिये जाने संबंधी है पर विचार।</p> <p>कार्य परिषद् सम्यक् विचारोपरान्त श्री के०डी० दूबे, सैक्रेटरी, हरिहर प्रसाद दूबे मेमोरियल सोसाइटी, बेतियाहाता गोरखपुर के पत्र दिनांक 27.12.2014 जो स्व० पिता श्री हरिहर प्रसाद दूबे की स्मृति में विश्वविद्यालय में बी०काम० परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्र/छात्रा को प्रत्येक वर्ष स्वर्ण पदक दिये जाने संबंधी है, को स्वीकार किया तथा यह भी निर्णय लिया कि स्वर्ण प्रदान करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि रू० 25,000-00 से बढ़ाकर रू० 1,00,000-00 प्रति स्वर्ण पदक कर दी जाय।</p>
39.	<p>विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 28.01.2015 की संस्तुतियों पर विचार।</p> <p>कार्य परिषद् सम्यक् ने विचारोपरान्त विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 28.01.2015 की संस्तुतियों से अवगत होते हुए अपनी अनुमोदन/स्वीकृत प्रदान की।</p>
40.	<p>वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.01.2015 की संस्तुतियों पर विचार।</p> <p>कार्य परिषद् वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.01.2015 की संस्तुतियों से अवगत हुई एवं वित्त समिति में लिये गये निर्णयों के बिन्दु संख्या 27(क) को पुनर्विचार हेतु वित्त समिति को वापस करते हुए शेष बिन्दुओं की अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की।</p>
41.	<p>वित्त समिति की संस्तुति दिनांक 23.02.2015 की संस्तुतियों पर विचार।</p> <p>कार्य परिषद् वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.02.2015 की संस्तुतियों से अवगत हुई एवं वित्त समिति में लिये गये निर्णयों पर</p>

अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की।

42. कार्यालय ज्ञाप संख्या सा0प्र0/2014/4714 दिनांक 26.12.2014 द्वारा डॉ0 सतीश चन्द्र पाण्डेय सहयुक्त आचार्य रक्षा एवं स्त्रांतजिक अध्ययन विभाग को दिनांक 01.01.2015 से एक वर्ष या अन्य कोई आदेश जो भी पहले हो तक के लिये नियन्ता नियुक्त किया जाता है के अनुमोदन पर विचार।

कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या सा0प्र0/2014/4714 दिनांक 26.12.2014 द्वारा डॉ0 सतीश चन्द्र पाण्डेय सहयुक्त आचार्य रक्षा एवं स्त्रांतजिक अध्ययन विभाग को दिनांक 01.01.2015 से एक वर्ष या अन्य कोई आदेश जो भी पहले हो तक के लिये नियन्ता नियुक्त किया जाता है से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।

43. पेसिफिक कालेज आफ फिजियोथिरैपी गोरखपुर एवं पूर्वान्वल इन्स्टीट्यूट ऑफ डेन्टल साइसेज, गीडा गोरखपुर के छात्रो को उपाधि निर्गत करने हेतु उपाधि के प्रारूप को तैयार करने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार।

कार्य परिषद् ने पेसिफिक कालेज आफ फिजियोथिरैपी गोरखपुर एवं पूर्वान्वल इन्स्टीट्यूट ऑफ डेन्टल साइसेज, गीडा गोरखपुर के छात्रो को उपाधि निर्गत करने हेतु उपाधि के प्रारूप को अनुमोदित किया।

44. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0 : 2572/सत्तर-6-2011-2(36)2010 दिनांक 24 नवम्बर, 2011 के अनुसार डॉ0 राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, सतरौव, देवरिया के संचालन हेतु गाटों की संयुक्तता हेतु 2.00 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध न होने एवं पूर्व में निर्गत एन0ओ0सी0 दिनांक 26.07.2006 प्राप्त किये जाने हेतु गाटा संख्या- 620/1.215 हेक्टेयर की कूटरचित खतौनी प्रस्तुत करने के कारण उक्त

महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति न दिये जाने के दृष्टिगत महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्ति के प्रकरण पर विचार।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं० : 2572/सत्तर-6-2011-2(36)2010 दिनांक 24 नवम्बर, 2011 के अनुसार डॉ० राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, सतराँव, देवरिया के संचालन हेतु गाटों की संयुक्तता हेतु 2.00 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध न होने एवं पूर्व में निर्गत एन०ओ०सी० दिनांक 26.07.2006 प्राप्त किये जाने हेतु गाटा संख्या- 620/1.215 हेक्टेयर की कूटरचित खतौनी प्रस्तुत करने के कारण उक्त महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति न दिये जाने के दृष्टिगत महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्ति करने का निर्णय लिया।

45. कार्यालय आदेश सं० : 4502/सा०प्र०/2015 दिनांक 18.03.2015 जो विभिन्न छात्रावासों में अधीक्षक/अधीक्षिका पद पर नियुक्ति सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश सं० : 4502/सा०प्र०/2015 दिनांक 18.03.2015 जो विभिन्न छात्रावासों में अधीक्षक/अधीक्षिका पद पर नियुक्ति सम्बन्धी है, से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।

46. कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 के बिन्दु संख्या 52 एवं 76(5) द्वारा रिसर्च एशोसिएट के रूप में की गयी सेवा को जोड़ने हेतु दिनांक 06.12.2014 द्वारा गठित समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के बन्द लिफाफा को खोलने पर विचार।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 26.07.2014 के बिन्दु संख्या 52 एवं 76(5) द्वारा रिसर्च एशोसिएट के रूप में की गयी सेवा को जोड़ने हेतु दिनांक 06.12.2014 द्वारा

गठित समिति जिसके (1) प्रो० यू०पी० सिंह, (2) सुरेन्द्र दुबे, सदस्य, (3) डॉ० सतीश कुमार सदस्य थे, द्वारा दी गयी संस्तुति के बन्द लिफाफा खोला गया, जिसमें यह मत व्यक्त किया गया कि "यू०जी०सी० के पत्र संख्या दिनांक 12 मार्च, 2010 एवं शासन के पत्र संख्या 402/सत्तर-1-2011-15 (72)/2011 दिनांक 04 मई, 2011 के आलोक में परिनियमावली में अपेक्षित संशोधन करने के उपरान्त इस व्यवस्था का लाभ निर्धारित मानक पूरा करने वाले सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्तियों को दिया जाय"।

राजभवन से विश्वविद्यालय को प्राप्त पत्र सं० ई०-3705/7 जी०एस०/2012 VI दिनांक 28.04.2014 पर चर्चा की गयी, जिसमें शासन के पत्र सं० : 402/सत्तर-1-2011-15 (72)/2011 दिनांक 04 मई, 2011 में दिये प्रावधानों के अनुसार प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान हेतु रिसर्च एसोसिएट के रूप में की गयी सेवा को जोड़े जाने सम्बन्धी तैयार किये गये परिनियम की स्वीकृति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय पत्र प्रेषित किया गया था। विश्वविद्यालय के इस पत्र क्रम में राजभवन से प्राप्त उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में यह उद्धृत है कि "विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय शिक्षकों की न्यूनतम अर्हताएं, सेवा शर्तों तथा कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति हेतु प्रावधानों को यू०जी०सी० विनियम 2010 के आधार पर सभी विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली में शासनादेश दिनांक 03.12.2013 द्वारा समावेशित किया गया है। अतः माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नवीन प्रावधानों के आलोक में उक्त प्रस्ताव को निष्प्रयोज्य कर दिया गया है।"

ऐसी स्थिति में प्रथम परिनियमावली के अनुसार 30 जून, 2010 के बाद दिनांक 03.12.2013 को जारी परिनियम लागू होगा एवं 30 जून, 2010 के पहले कैरियर एडवान्समेण्ट स्कीम के शिक्षकों पर पूर्व का परिनियम लागू होगा।

47.	<p>कार्यालय आदेश सं० : सा०प्र०/४५४३/सा०प्र० दिनांक : २१.०३.२०१५ द्वारा प्रो० जे०पी० विश्वकर्मा, आचार्य, गणित विभाग को अध्यक्ष— गणित एवं सांख्यिकी विभाग के अध्यक्ष पद पर तथा डॉ० जनार्दन, आचार्य—हिन्दी विभाग को अध्यक्ष— हिन्दी विभाग के पद पर नियुक्त होने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन करने पर विचार।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् कार्यालय आदेश सं० : सा०प्र०/४५४३/सा०प्र० दिनांक : २१.०३.२०१५ द्वारा प्रो० जे०पी० विश्वकर्मा, आचार्य, गणित विभाग को अध्यक्ष— गणित एवं सांख्यिकी विभाग के अध्यक्ष पद पर तथा डॉ० जनार्दन, आचार्य—हिन्दी विभाग को अध्यक्ष— हिन्दी विभाग के पद पर नियुक्त होने सम्बन्धी आदेश से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।</p>
48.	अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया गया—
(क)	<p>विद्या परिषद् की बैठक दिनांक २४.०३.२०१५ की संस्तुतियों पर पर विचार।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की बैठक दिनांक २४.०३.२०१५ की संस्तुतियों से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।</p>
(ख)	<p>कार्य परिषद् डॉ० सत्यनारायण त्रिपाठी, तत्कालीन परीक्षा समन्वयक, सम्प्रति आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के विरुद्ध अभियोजन दर्ज करने के सम्बन्धी पत्र सं० ९४१५/सा०प्र०/२०१० दिनांक २४.१२.२०१० से अवगत हुई तथा अनुमोदन प्रदान किया।</p>
(ग)	<p>कुलपति जी ने यह भी अवगत कराया कि प्रो० ईश्वर शरण विश्वकर्मा, आचार्य— प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति</p>

विभाग को रूसा (RUSA) का संयोजक बनाया गया है।


(घ) कार्य परिषद् के सदस्यों के अनुरोध पर सामान्य प्रशासन अनुभाग एवं कुलसचिव कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को भी अन्य कर्मचारियों की भाँति उनके मूल वेतन के बराबर अतिरिक्त कार्य करने के लिए मानदेय देने की सैद्धान्तिक स्वीकृति परिषद् ने प्रदान की।

बैठक के अन्त में मा० कुलपति जी ने अवगत कराया कि इस वर्ष सी०पी०एम०टी० की परीक्षा कराने का दायित्व दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया है। इस परीक्षा के सफल आयोजन हेतु कार्य परिषद् के समस्त माननीय सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है।

कार्य परिषद् ने वर्तमान सदस्य प्रो० प्रभाकर झा के असामयिक निधन पर दुःख व्यक्त किया एवं दो मिनट का मौन रखा। साथ ही इस विश्वविद्यालय में कार्य परिषद् सदस्य के रूप में प्रदत्त उनके सहयोग व योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव


कुलपति

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100